न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 15/2018 दायरा दिनांक : 23.02.2018

1. कुन्दन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी पतरोडा तहसील अनूपगढ़ (मृतक)
1/1 इन्दो बेवा कुन्दन सिंह जाति रायसिख निवासी पतरोडा तहसील अनूपगढ़
1/2 कश्मीर सिंह पुत्र कुन्दन सिंह
2. बलवन्त सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी पतरोडा तहसील अनूपगढ
3. जसवन्त सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी कैरी तहसील हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर
4. कलवन्त सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी पतरोडा तहसील अनूपगढ़

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. नन्द सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी पतरोडा तहसील अनूपगढ़

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा–75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थित–
1. श्री हरीचन्द अरोड़ा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनुप्रीत स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02
3. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांक : 11.11.2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया कि रामसिंह पुत्र गहणासिंह को जैर अपील भूमि चक 11 पी का मुरब्बा न. 160/35 के 9 बीघा व मुरब्बा न. 160/36 के 25 बीघा इस प्रकार कुल 34 बीघा रकबा निष्कांत भूमि होने के नाते दिनांक 15.5.1960 को सैटलमेंट ऑफिसर भारत सरकार पुर्नवास मंन्त्रालय के मैनेंजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित की गई थी। अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा जैर अपील रकबा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.01.73 को रामसिंह से कय की गई। उक्त कयशुदा भूमि का इंतकाल संख्या 19 दिनांक 22.03.1984 को हम अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम से दर्ज हुआ। तत्पश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा यह विवाद उत्पन्न किया गया कि अपीलांटगण ने यह कृषि भूमि नियमों के विरूद्व कय कर रखी है क्योंकि आवंटी रामसिंह ने इस कृषि भूमि की बिना खातेदारी सनद प्राप्त किये उक्त रकबा का बैचान किया है, जिस पर जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.4.1981 व 22.4.1983 द्वारा आवंटी रामसिंह का प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने कब्जा विवादित भूमि, अस्वीकार कर, विवादित भूमि का अनियमित बैचान करने के कारण खारिज कर दिया तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को जैर अपील भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर कब्जा राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए लिए लिये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलांट की जैर अपील भूमि का इंतकाल संख्या 103 दिनांक 11.12. 1997 दर्ज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांगण द्वारा प्राधिकृत सैन्टलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानचगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 29.2.1996 को अस्वीकार की जाकर खारिज कर दी गई। अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 29.02.1996 के विरूद्व एक निगरानी जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष डीपी/11/96 पेश की गई जो दिनांक 27.8.1996 को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 27.8.1996 के विरूद्व अपीलांट द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर में पेटीशन संख्या 30/1996 पेश की जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.9.1997 को निरस्त कर दी। न्यायालय संभागीय आ[illegible] दिनांक 23.9.1997 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधुपर में एसबी सिविल [illegible] पटीश[illegible] 989/1998 प्रस्तुत की जो दिर्नाक 27.8.2002 को अस्वीकार की ग[illegible] दिनांक 27.8.2002 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपु[illegible] स्पेशल अपील ([illegible]संख्या 767/2002 प्रस्तुत की गई जो अपीलांट द्वारा दिनांक 03.8.2004 को [illegible] अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में प्रस्तुत क[illegible] 2002 संख्या इसलिए विड्रॉ कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:20:02 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जिला कलक्टर
[illegible] (श्री. गंगानगर)

Scanned by CamScanner

गई क्योंकि तब तक माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य रिट पेटीशन में यह व्यवस्था दे दी गई थी कि ऐसे अवैध बेचान का नियमन भी कर दिया जावे तथा श्रीमान पुर्नवास अधिकरी, श्रीगंगानगर को इस संबंधि में आदेशित किया कि ऐसे बैचान के संदर्भ में यदि मूल आवंटी हो तो शास्ती की राशि भरवाते हुए ऐसे बैचान का नियमन कर दिया जावे। हस्तगत प्रकरण में मूल आवंटी रामसिंह पुत्र गहणा सिंह की तरफ से भूमि विकय की जो राशि 19,200 रूपये बकाया थी वह, हम अपीलांटगण द्वारा जरिये चालान संख्या 6 दिनांक 28.08.2004 को जमा करवा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा दायर की गई स्पेशल रिट, जो अपीलांटस द्वारा विड्रॉ की गई थी, में हम अपीलांटगण को बेदखल नहीं करने का आदेश प्राप्त है जो आज भी प्रभावी है। जैर अपील भूमि पिछले 45 वर्षो से अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का इंतकाल संख्या 103 दिनांक 11.12.1997 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हरीचन्द अरोडा हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुप्रीत स्वामी उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में जिस दिन से अपीलांटगण के विरूद्व कार्यवाही प्रारम्भ की उसी रोज से अपीलांटगण भी अपील, निगरानी, पैटीशन, याचिका व विशेष अपील के माध्यम से कार्यवाही करते हुए आ रहे है। न्याय का यह सिद्वांत प्रतिपादित है कि न्यायिक कार्यवाही में जो भी समय व्यतीत हुआ है वह क्षमा योग्य है। अपीलांटगण द्वारा अपील के उद्वेश्य से इंतकाल संख्या 103 दिनांक 11.12.1997 की प्रमाणित प्रति दिनांक 31.1.2018 को हल्का पटवारी से प्राप्त की तत्पश्चात बिना किसी देरी के अपील पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करे ।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र ना तो अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा ना ही पैरोकार राज द्वारा पेश किया गया । प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मियाद का जवाब भी रेस्पोडेंटगण द्वारा पेश नहीं किया गया। दौराने बहस भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील, निगरानी, पैटीशन, याचिका व विशेष अपील के माध्यम से कार्यवाही की गई जिसमें समय व्यतीत हुआ है। न्याय का यह सिद्वांत प्रतिपादित है कि न्यायिक कार्यवाही में जो भी समय व्यतीत हुआ है वह क्षमा योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई प्रतिशपथ पत्र अधिवक्तागण द्वारा तथा पेरोकार राज द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील में गुणावगुण पर बहस प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दौहराया तथा निवेदन किया कि रामसिंह पुत्र गहणासिंह को जैर अपील भूमि चक 11 पी का मुरब्बा न. 160/35 के 9 बीघा व मुरब्बा न. 160/36 के 25 बीघा इस प्रकार कुल 34 बीघा रकबा निष्कांत भूमि होने के नाते दिनांक 15.5.1960 को सैटलमेंट ऑफिसर भारत सरकार पुर्नवास मन्त्रालय के मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित की गई थी। अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा जैर अपील रकबा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.01.73 को रामसिंह से कय की गई। उक्त कयशुदा भूमि का इंतकाल संख्या 19 दिनांक 22.03.1984 को हम अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम से दर्ज हुआ। तत्पश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा यह विवाद उत्पन्न किया गया कि अपीलांटगण ने यह कृषि भूमि नियमों के विरूद्व कय रखी है क्योंकि आवंटी रामसिंह ने इस कृषि भूमि की बिना खातेदारी सनद प्राप्त किये उक्त रकबा का बैचान किया है, जिस पर जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.4.1981 व 22.4.1983 द्वारा आवंटी रामसिंह का प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने कब्जा विवादित भूमि, अस्वीकार कर, विवादित भूमि का अनियमित बैचान करने के कारण खारिज कर दिया तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को जैर अपील भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर कब्जा राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए लिये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपील की जैर अपील भूमि का इंतकाल संख्या 103 दिनांक 11.12.1997 दर्ज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांटगण द्वारा प्राधिकृत सैन्टलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 29.2.1996 को अस्वीकार की जाकर खारिज कर दी गई। अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 29.02.1996 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 13:20:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

विरूद्व एक निगरानी जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष डीपी/11/96 पेश की गई जो दिनांक 27.8.1996 को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 27.8.1996 के विरूद्व अपीलांट द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर में पेटीशन संख्या 30/1996 पेश की जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.9.1997 को निरस्त कर दी। न्यायालय संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 23.9.1997 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधुपर में एसबी सिविल रिट पैटीशन न. 989/1998 प्रस्तुत की जो दिनांक 27.8.2002 को अस्वीकार की गई। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 27.8.2002 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में डीबी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 767/2002 प्रस्तुत की गई जो अपीलांट द्वारा दिनांक 03.8.2004 को जरिये विड्रोल विड्रा कर ली गई। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में प्रस्तुत की गई उक्त रिट संख्या 767/2002 संख्या इसलिए विड्रॉ कर ली गई क्योंकि तब तक माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य रिट पेटीशन में यह व्यवस्था दे दी गई थी कि ऐसे अवैघ बेचान का नियमन भी कर दिया जावे तथा श्रीमान पुर्नवास अधिकरी, श्रीगंगानगर को इस संबंधि में आदेशित किया कि ऐसे बैचान के संदर्भ में यदि मूल आवंटी हो तो शास्ती की राशि भरवाते हुए ऐसे बैचान का नियमन कर दिया जावे। हस्तगत प्रकरण में मूल आवंटी रामसिंह पुत्र गहणा सिंह की तरफ से भूमि विक्रय की जो राशि 19,200 रूपये बकाया थी वह, हम अपीलांटगण द्वारा जरिये चालान संख्या 6 दिनांक 28.08.2004 को जमा करवा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा दायर की गई स्पेशल रिट, जो अपीलांटस द्वारा विड्रॉ की गई थी, में हम अपीलांटगण को बेदखल नहीं करने का आदेश प्राप्त है जो आज भी प्रभावी है। जैर अपील भूमि पिछले 45 वर्षो से अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का इंतकाल संख्या 103 दिनांक 11.12.1997 निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील आदेश नियमानुसार पारित किया गया है। राज्यहित को ध्यान में रखकर प्रकरण का निर्णय करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 का अपीलाधीन भूमि में समान हित निहित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का आलौच्य आदेश निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में रामसिंह पुत्र गहरणासिंह को जैर अपील भूमि चक 11 पी का मुरब्बा न. 160/35 के 9 बीघा व मुरब्बा न. 160/36 के 25 बीघा इस प्रकार कुल 34 बीघा रकबा निष्क्रांत भूमि होने के नाते दिनांक 15.5.1960 को सैटलमेंट ऑफिसर भारत सरकार पुर्नवास मंन्त्रालय के मैनेंजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित की गई थी। रामसिंह द्वारा बिना खातेदारी सनद प्राप्त किये उक्त रकबा अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 02 को बेचान कर दिया। जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.4.1981 व 22.4.1983 द्वारा आवंटी रामसिंह का प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने कब्जा अपीलाधीन भूमि, अस्वीकार कर, विवादित भूमि का अनियमित बैचान करने पर भूमि तहसीलदार अनूपगढ़ को रिसीवर नियुक्त कर कब्जा राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए लिए लिये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को आदेश कमांक भू.अ. 97/5910 दिनांक 26.11.1997 द्वारा जैर अपील भूमि का इंतकाल राष्ट्रपति भारत सरकार आराजी राज के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 103 दर्ज किया जो तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 11.12.1997 को स्वीकृत किया गया। जैर अपील इंतकाल जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश क अनुसरण में दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गई अपील, श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के समक्ष पेश की गई पैटीशन, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के समक्ष पेश की गई एसबी रिट पैटीशन अस्वीकार की जा चुकी है। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जोधपुर के समक्ष पेश की गई डीबी स्पेशल अपील संख्या 767/2002 भी अपीलांट द्वारा विड्रॉ कर ली गई है, जिसमें भी अपीलांट को कोई रहत प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश यथावत रहा है। चूंकि जैर अपील इंतकाल जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश के अनुसरण में दर्ज हुआ है, तथा उक्त आदेश आज भी प्रभावी है। अतः अपीलांट द्वारा उक्त इंतकाल के विरूद्व की गई अपील निराधार होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ द्वारा इंतकाल संख्या 103 दिनांक 11.12.1997 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:20:02 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner